

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

आरक्षित: 16 नवंबर, 2023
निर्णय की तिथि: 4 जनवरी, 2024

सि.वि.(मु.) 803/2023 एवं सि.वि.अ. 25057/2023

संजीव लकड़ा

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री करण वीर त्यागी, एडवोकेट
बनाम

भीम सिंह

..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री शिव चरण गर्ग एवं श्री इमरान
खान, अधिवक्तागण

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा

निर्णय

न्या.: मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर यह याचिका अ.जि.न्या. पश्चिमी जिला, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली ('विचारण न्यायालय') सिविल मामला सं. 42/2022 में शीर्षक 'भीम सिंह बनाम संजीव लकड़ा' के रूप में पारित दिनांक 04.02.2023 के आदेश का विरोध करती है, जिसमें आवेदन दिनांक 18.11.2022 ('संशोधन आवेदन') याचिकाकर्ता द्वारा आदेश 6 के तहत

दायर किये गये लिखित बयान में संशोधन की मांग करने वाली सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ('सि.प्र.सं.') के नियम 17 को खारिज कर दिया गया था।

1.1 विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित न्यायनिर्णयन के सिविल वाद में याचिकाकर्ता यहां प्रतिवादी है तथा प्रत्यर्थी यहां वादी है, संदर्भ में आसानी हेतु, पक्षकारों को उनके मूल स्थान एवं स्थिति से संदर्भित किया जा रहा है जैसा कि विचारण न्यायालय के समक्ष था।

1.2 वादी ने यहां विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के तहत सिविल वाद दायर किया है, दिनांक 18.11.2021 को विक्रय करने का करार ('एटीएस') के विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री की मांग तथा प्रतिवादी को प्लॉट संं. 608/2/क, खसरा सं. 608/2, विस्तारित लाल डोरा के भीतर स्थित, मुंडका गांव, दिल्ली - 110041, माप 250 वर्ग गज ('वाद संपत्ति') वाली संपत्ति के संबंध में वादी के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करने तथा पंजीकृत करने के निर्देश जारी करना है।

1.3 वादी ने तर्क दिया है कि यहां पक्षकारों ने 35,00,000/- रुपये की बिक्री प्रतिफल राशि के लिए वाद संपत्ति की बिक्री हेतु एटीएस निष्पादित किया है तथा वादी ने 5,00,000/- रुपये का आंशिक प्रतिफल दी है। वादी का अभिकथन है कि प्रतिवादी ने एटीएस का पालन करने से इनकार कर दिया तथा परिणामस्वरूप, वादी ने दिनांक 10.01.2022 को सिविल वाद दायर कर दिया।

1.4 सिविल वाद दिनांक 11.01.2022 को पंजीकृत किया गया था, दिनांक 13.01.2022 को समन जारी किया गया तथा दिनांक 28.01.2022 को प्रतिवादी को तामील किया गया था। प्रतिवादी ने दिनांक 07.07.2022 को सिविल वाद में अपना लिखित बयान ('मूल लिखित बयान') दायर किया, जिसमें प्रतिवादी ने वाद संपत्ति की बिक्री के लिए समझौता करने से इनकार किया तथा स्पष्ट रूप से एटीएस के निष्पादन के साथ-साथ 5,00,000/- रुपये के आंशिक प्रतिफल की प्राप्ति से इनकार कर दिया। वास्तव में एटीएस के गैर-निष्पादन की प्रस्तुति को पुष्ट करने हेतु, यह अभिवचन दिया कि प्रतिवादी कभी भी वादी को वाद संपत्ति बेचना नहीं चाहता था।

वादी ने विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए मूल लिखित बयान की प्रतिकृति दर्ज नहीं करने का निर्णय किया है।

1.5 दिनांक 01.09.2022 के आदेशानुसार, सिविल वाद में मुद्दों को दायर किया गया था तथा मामले को सुनवाई की अगली तारीख अर्थात् दिनांक 09.11.2022 को वादी के साक्ष्य हेतु सूचीबद्ध किया गया था। यह इस अग्रिम चरण में था, दिनांक 19.11.2022 को प्रतिवादी द्वारा मूल लिखित बयान में संशोधन की मांग करने वाला आवेदन दायर किया गया था।

1.6 विचारण न्यायालय ने दिनांक 04.02.2023 के आक्षेपित आदेश के तहत संशोधन आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि: - (i) सिविल वाद में अभिवचन पूरा हो चुका है, (ii) मामला दिनांक 01.09.2022 से वादी के साक्ष्य

के चरण में है तथा (iii) यदि संशोधित लिखित बयान अभिलेख पर लिया जाता है, तो यह विचारण की प्रकृति को बदल देगा।

याचिकाकर्ता अर्थात् प्रतिवादी की ओर से दलीलें

2. याचिकाकर्ता अर्थात् प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मूल लिखित बयान दिनांक 07.07.2022 को पिछले अधिवक्ता द्वारा दायर किया गया था। हालांकि, वर्तमान अधिवक्ता का नियुक्ति तथा लिखित बयान की सामग्री को समझाने के बाद, प्रतिवादी को पता चला कि मूल लिखित बयान में सही तथ्यों का निर्धारण नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि इसलिए रिकॉर्ड को सीधे निर्धारित करने हेतु, प्रतिवादी प्रारंभिक आपत्तियों के पैराग्राफ सं. 6 के रूप में एक 'नया' पैराग्राफ शामिल करने की अनुमति चाहता है तथा मूल लिखित बयान में गुणागुण के आधार पर उत्तर के पैराग्राफ सं. 4 को सुधारता है।

2.1 उन्होंने कहा कि अब जिन तथ्यों को अभिलेख पर (संशोधन के माध्यम से) रखने की मांग की गई है वे दिनांक 04.10.2021 को मौजूद थे, वे भौतिक तथ्य हैं जो उन परिस्थितियों की व्याख्या करेंगे जिन पर पक्षकारों के बीच एटीएस को निष्पादित किया गया था।

2.2 उनका कहना है कि मूल लिखित बयान में प्रस्तावित संशोधन स्वीकार्य हैं क्योंकि यह वास्तविक विवाद को तय करने में न्यायालय की सहायता करेंगे। उन्होंने कहा कि हालांकि दिनांक 01.09.2022 को मुद्दों को दायर किया गया

था लेकिन साक्ष्य की रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुई थी तथा इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *आन्धा बैंक बनाम एबीएन एमरो बैंक एन.वी. व अन्य* तथा *गणेश ट्रेडिंग कंपनी बनाम मोजी राम* में तय कानून के अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा संशोधन आवेदन की अनुमति दी जानी चाहिए थी।

प्रत्यर्थी अर्थात् वादी की ओर से तर्क

3. उत्तर में, प्रतिवादी अर्थात् वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मैसर्स एग्रीवाइज फिनसर्व लिमिटेड से लिए गए कथित ऋण के संबंध में तथ्य, एटीएस के निष्पादन के समय वादी को प्रकट नहीं किया गया था जैसा कि एटीएस की शर्तों (विशेष रूप से, उसमें खंड 6) से स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि दिनांक 07.07.2022 को दायर मूल लिखित बयान में कथित ऋण के अस्तित्व का खुलासा भी नहीं किया गया था।

3.1 उन्होंने कहा कि दिनांक 07.07.2022 के मूल लिखित बयान में प्रतिवादी ने एटीएस के निष्पादन से स्पष्ट रूप से इनकार किया था। उन्होंने प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से कहा कि प्रतिवादी ने अब एटीएस के निष्पादन तथा 5,00,000/- रुपये के आंशिक प्रतिफल की प्राप्ति को स्वीकार करते हुए यू-टर्न लिया है; हालांकि, एटीएस के गैर-पालन को सही ठहराने के लिए पूरी तरह से नया बचाव स्थापित करने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से प्रतिवादी अपने बचाव को पूरी तरह से बदलने की मांग कर रहा है और वास्तव में, रुख का यह परिवर्तन उसे झूठी

गवाही के लिए उत्तरदायी बनाता है। वह मूल लिखित बयान में उत्तर को विशेष रूप से मूल लिखित बयान के गुणागुणों पर उत्तर के पैराग्राफ सं. 3 एवं 4 को संदर्भित करता है ताकि बचाव में बदलाव के अपने प्रस्तुतिकरण को पुष्ट किया जा सके। वह इस न्यायालय के निर्णय **विंग कमांडर आई. कोवूर (सेवानिवृत्त) बनाम महालक्ष्मी लैंड एंड फाइनेंस (पी) लिमिटेड** पर संशोधन का विरोध करने हेतु भरोसा करता है।

3.2 उन्होंने कहा कि संशोधन आवेदन के साथ संलग्न कथित दस्तावेज एटीएस के साथ-साथ मूल लिखित बयान दाखिल करने से पहले के हैं; तथा इसलिए, प्रतिवादी के ज्ञान, हिरासत एवं कब्जे में स्वीकार्य थे। उनका कहना है कि इसलिए उक्त दस्तावेजों एवं तथ्यों को दाखिल न करना तथा मूल लिखित बयान में उल्लेख न करना, जानबूझकर किया गया है।

3.3 उन्होंने कहा कि संशोधन के माध्यम से, प्रतिवादी अपने रुख और बचाव को पूरी तरह से बदलने का प्रस्ताव रखता है; प्रस्तुत किए गए नए तथ्य मूल लिखित बयान के पूरी तरह से विरोधाभासी हैं। उनका कहना है कि प्रस्तावित संशोधन अवैध हैं और सि.प्र.सं. के आदेश 6 नियम 17 के दायरे के खिलाफ है।

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

4. इस न्यायालय ने पक्षकारों के लिए विद्वान अधिवक्तागण की प्रस्तुतियों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

5. यह स्थापित कानून है कि सामान्यतः न्यायालय लिखित वक्तव्य में संशोधन की अनुमति देने में उदार हैं। न्यायालयों ने माना है कि लिखित बयान में असंगत दलीलें लेने के लिए बचाव या प्रतिस्थापन या बचाव के विकल्प के एक नए आधार को जोड़ना आपत्तिजनक नहीं है।

हालांकि, यहां तक कि एक लिखित बयान के लिए भी न्यायालयों ने उन संशोधनों की अनुमति देने से मना किया है जो वास्तविक नहीं हैं या दूसरे पक्षकार के लिए गंभीर पूर्वाग्रह या अन्याय या संशोधनों का काम नहीं करते हैं जिनका उद्देश्य न्यायालय को खत्म करना है। इस संबंध में, उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा **बी.के. नारायण पिल्लई बनाम परमेश्वरन पिल्लई व अन्य¹**, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि तथ्यों की स्वीकृत स्थिति या तथ्यों के पारस्परिक रूप से विनाशकारी आरोपों को नकारने में असंगत और विरोधाभासी आरोपों को दलीलों में संशोधन के माध्यम से शामिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। निर्णय का प्रासंगिक हिस्सा निम्नानुसार है:

"4. ... वादपत्र के संशोधनों पर लागू होने वाले सिद्धांत लिखित बयानों के संशोधनों पर भी समान रूप से लागू होते हैं। न्यायालय लिखित बयान में संशोधन की अनुमति देने में अधिक उदार हैं क्योंकि उस स्थिति में पूर्वाग्रह का प्रश्न उठने की संभावना कम होती है। प्रतिवादी को बचाव में वैकल्पिक दलील लेने का अधिकार है, जो हालांकि, एक

अपवाद के अधीन है कि प्रस्तावित संशोधन द्वारा दूसरे पक्ष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और वादी के पक्ष में की गई कोई भी स्वीकारोक्ति वापस नहीं ली जाएगी। अभिवचनों में उन सभी संशोधनों की अनुमति दी जानी चाहिए जो वाद में वास्तविक विवादों के निर्धारण के लिए आवश्यक हैं, बशर्ते कि प्रस्तावित संशोधन कार्रवाई के किसी नए कारण को न बदलता या प्रतिस्थापित नहीं करता है जिसके आधार पर मूल वाद उठाया गया था या बचाव किया गया था। तथ्यों की स्वीकृत स्थिति को नकारने वाले असंगत और विरोधाभासी आरोपों या तथ्यों के पारस्परिक रूप से विनाशकारी आरोपों को दलीलों में संशोधन के माध्यम से शामिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। प्रस्तावित संशोधन से दूसरे पक्ष पर ऐसा पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए जिसकी भरपाई लागत से न की जा सके। ऐसे किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो समय बीतने के कारण विपरीत पक्षकार को मिलने वाले कानूनी अधिकार को विफल करने वाला हो या उससे संबंधित हो। दलीलों में संशोधन के लिए याचिका दायर करने में देरी की लागत और त्रुटि या गलती से उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, जो कि धोखाधड़ी नहीं होने पर, वादी या लिखित बयान में संशोधन के लिए आवेदन को खारिज करने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।

(जोर दिया गया)

6. लिखित बयान में संशोधन की अनुमति के दायरे को इस न्यायालय के एक निर्णय सुगीता छाबड़ा बनाम हरीश नायर, में संक्षेप में समझाया गया था। जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश (हिमा कोहली, जे. तब उनकी लेडीशिप के रूप में) ने माना कि एक संशोधन जो मूल बचाव की प्रकृति को बदलने की कोशिश

करता है, एक पूरी तरह से नया मामला स्थापित करता है जिसे मूल लिखित बयान में नहीं लिया गया था, की अनुमति नहीं दी जा सकती है। निर्णय का प्रासंगिक हिस्सा निम्नानुसार है:

"25. अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों को लागू करके, प्रतिवादी अब दावा करता है कि चूंकि यह वादी का मामला है कि श्री आर.जी. नायर ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी, वाद परिसर को श्री आर.जी. को 7/10वां हिस्सा तथा नायर एचयूएफ और वादी को 3/10वां हिस्सा देकर विभाजित किया जाएगा। यदि प्रतिवादी की उपरोक्त दलील को उसके लिखित बयान में शामिल करने की अनुमति दी जाती है, तो निस्संदेह इसके परिणामस्वरूप उसे मूल लिखित बयान में वाद परिसर के पूर्ण स्वामित्व के बारे में उसके द्वारा की गई स्वीकारोक्ति से मुकरने और स्थापित करने की अनुमति मिल जाएगी। वादी के पूर्वाग्रह के लिए पूरी तरह से नया मामला, जो कानून में अनुमति योग्य नहीं है। इसके अलावा, यदि उपरोक्त संशोधन की अनुमति दी जाती है, तो प्रतिवादी को परस्पर विनाशकारी दलीलें देनी होंगी, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

26. वादी के अधिवक्ता द्वारा दी गई दलील में सत्यता है कि यदि प्रतिवादी को लिखित बयान में संशोधन करने की अनुमति दी जाती है, जैसा कि प्रार्थना की गई है, तो इससे वादी के साथ गंभीर अन्याय होगा क्योंकि इसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी को अनुमति देनी होगी। अपने मूल लिखित बयान में ली गई स्थिति को नकारने में

विरोधाभासी और असंगत दलीलें दें, जिसमें उन्होंने कहा था कि श्री आर.जी. नायर ने एक वसीयत छोड़ी थी, जिसके तहत, उनके बेटे, श्री राघव नायर को वाद संपत्ति में आधा अविभाजित हिस्सा दिया गया था। ऐसी वसीयत केवल इस आधार पर हो सकती थी कि वाद संपत्ति स्वर्गीय श्री आर.जी. की स्व-अर्जित संपत्ति थी। नायर यदि नहीं यह एक एचयूएफ संपत्ति थी जैसा कि अब प्रतिवादी द्वारा दावा किया जाना है। इसी प्रकार, प्रतिवादी के अपनी मां श्रीमती शारदा नायर द्वारा आधे अविभाजित हिस्से के दावे का सत्यापन वाद परिसर में उनके पक्ष में निष्पादित वसीयत द्वारा किए गए हस्तांतरण के आधार पर वाद केवल तभी रक्षणीय होगा जब वाद संपत्ति पक्षकारों के माता-पिता की पूर्ण संपत्ति थी, न कि अगर इसे श्री आर.जी. नायर द्वारा खरीदा गया था। जैसा कि प्रस्तावित संशोधनों में दावा किया गया है, एक हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है।

27. प्रतिवादी द्वारा अपने लिखित बयान में लिए गए उपरोक्त स्पष्ट रुख के अनुसार, यह उसके हाथ में नहीं है कि वह पलट जाए और आग्रह करे कि उसे लिखित बयान में संशोधन करने और उसमें इस आशय के तथ्य शामिल करने की अनुमति दी जाए कि वाद संपत्ति है यह एचयूएफ फंड से खरीदा गया था और वह श्री आर.एन. नायर एक एचयूएफ का कर्ता था और उसके निधन के बाद, प्रतिवादी उक्त एचयूएफ का कर्ता बन गया था। इसका मतलब प्रतिवादी को अपने मूल बचाव की प्रकृति को बदलने और एक पूरी तरह से नया मामला स्थापित करने की अनुमति देनी होगा, जिसे मूल रूप से दायर किए गए लिखित बयान में उसके द्वारा नहीं लिया गया था। वास्तव में, यह केवल

असंगत वाद लेने या बचाव के नए आधार जोड़ने का मामला नहीं है, बल्कि प्रतिवादी की ओर से एक पूरी तरह से अलग और पारस्परिक रूप से असंगत बचाव बनाने का प्रयास है।

(जोर दिया गया)

7. इस मामले के तथ्यों में, वादी द्वारा एटीएस के विशिष्ट प्रदर्शन की मांग करते हुए अभिवचन दायर किया गया है, विशेष वाद पर 5,00,000/- रुपये के प्रतिफल हिस्से का भुगतान किया जाएगा। मूल लिखित बयान में प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से बिक्री के लिए बातचीत करने से इनकार कर दिया और परिणामस्वरूप एटीएस के निष्पादन के साथ-साथ 5,00,000/- रुपये के आंशिक प्रतिफल की प्राप्ति से भी इनकार कर दिया। लिखित बयान के शपथ पर पुष्टि की गई है तथा एक शपथ-पत्र द्वारा विधिवत समर्थित है।

8. प्रतिवादी ने संशोधन के माध्यम से प्रारंभिक आपत्ति संख्या 6 जोड़ने का प्रस्ताव दिया है और मूल लिखित कथन के गुणागुण के आधार पर उत्तर के पैराग्राफ 4 में संशोधन करें। प्रस्तावित संशोधनों में प्रतिवादी बिक्री एटीएस के निष्पादन और 5,00,000/- रुपये के आंशिक प्रतिफल की प्राप्ति के लिए समझौते को स्वीकार करता है। हालाँकि, संशोधनों के माध्यम से प्रतिवादी अब उन परिस्थितियों को स्पष्ट करना चाहता है जिनमें उसने इस एटीएस को न करने का निर्णय लिया है।

9. इस न्यायालय की राय में, प्रतिवादी द्वारा रुख में यह बदलाव मूल बचाव की प्रकृति को बदलने और एक पूरी तरह से नया मामला स्थापित करने

के समान है, जिसे मूल लिखित बयान में उसके द्वारा नहीं लिया गया था। **सुगीता छाबड़ा बनाम हरीश नायर (पूर्वोक्त)** में संशोधन को अस्वीकार करने के लिए लागू परीक्षण इस मामले पर पूरी तरह से लागू होता है, क्योंकि इस मामले में भी प्रतिवादी न केवल असंगत अभिवचन दे रहा है या बचाव के नए आधार जोड़ रहा है, बल्कि प्रयास भी कर रहा है। प्रतिवादी का हिस्सा पूरी तरह से अलग और पारस्परिक रूप से असंगत बचाव स्थापित करना है।

10. प्रतिवादी द्वारा योग्यता के आधार पर उत्तर के पैराग्राफ 4 में मांगे गए लिखित बयान में संशोधन की अनुमति दी गई, तो पैराग्राफ संख्या 3 और 6 सहित शेष पैराग्राफ के पैरा-वाइज़ उत्तर के रूप में संपूर्ण लिखित बयान असंगत हो जाएगा। प्रचारित किए जाने वाले प्रस्तावित नए बचाव के साथ पूरी तरह से असंगत होंगे। इसका परिणाम यह होगा कि वाद में देरी होगी और वादी को पूर्वाग्रह के कारण शर्मिंदा होना पड़ेगा। पूरी तरह से असंगत लिखित बयान वास्तव में, विचारण न्यायालय के लिए विवादों पर निर्णय देना मुश्किल बना देगा और न्याय का उपहास उड़ाएगा।

11. प्रतिवादी द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है वे इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं। **आंध्रा बैंक बनाम एबीएन एमरो बैंक एन.वी.** (पूर्वोक्त) के मामले में प्रतिवादी को अपनी अभिवचन में संशोधन करने की अनुमति दी गई थी क्योंकि उसने लिखित बयान में एक अतिरिक्त बचाव की मांग की थी, जो मौजूदा बचाव के साथ पारस्परिक रूप से विनाशकारी नहीं था।

गणेश ट्रेडिंग कंपनी बनाम मोजी राम (पूर्वोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय एक याचिका में संशोधन की गुंजाइश पर विचार कर रहा था। हालाँकि, उक्त मामले में भी न्यायालय ने कहा कि ऐसे संशोधनों की अनुमति नहीं दी जा सकती जो विपरीत पक्षकार को प्राप्त अधिकारों को अनुचित रूप से नुकसान पहुँचाते हैं।

12. मूल लिखित बयान में सही तथ्यों को न बताने/उल्लेख न करने में प्रतिवादी और प्रतिवादी के पूर्व अधिवक्ता द्वारा की गई अनजाने में हुई गलती की अभिवचन को मूल लिखित बयान में संशोधन की अनुमति देने के लिए एक प्रामाणिक/वैध आधार के रूप में नहीं माना जा सकता है। प्रतिवादी ने इस बारे में कोई दावा नहीं किया है कि प्रतिवादी को प्रारंभिक चरण में ही मूल लिखित बयान में उपरोक्त संशोधन बताने से कैसे रोका गया था। वास्तव में, यह न्यायालय वादी के अधिवक्ता के इस अभिवचन में गुणागुण पाता है कि प्रतिवादी ने एटीएस के निष्पादन और 5,00,000/- रुपये के आंशिक प्रतिफल की प्राप्ति से इनकार करके मूल लिखित बयान में गलत रुख अपनाया है।

13. यहां उपरोक्त चर्चित तथ्यों के मद्देनजर, यह न्यायालय संशोधन आवेदन को खारिज करने वाले विचारण न्यायालय के आक्षेपित आदेश में कोई कमी नहीं पाता है तथा यह कानून एवं तथ्य में सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इस न्यायालय के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के प्रयोग में न्यायक्षेत्र की कोई त्रुटि या कोई अन्य त्रुटि नहीं है।

14. यह याचिका बिना किसी गुणागुण के है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है। लंबित आवेदनों का निपटान किया गया है।

मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा, न्या.

जनवरी, 4 2024/एमएसएच/एचपी/एमजी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।